क्र.न. 42/2009 राजस्ववाद हंजा देवी बनाम पकीमा कौराह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
9.5.2017 कैम्प - मारवाड़ जंक्शन वकील वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी के वकील उपस्थित। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा -88, 89, 188, 92(ए) राज. काश्त. अधि. सपठित धारा - 136 भू.राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कोलर तहसील देसूरी में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नंबर 244, 245, 250 धुलिया पुत्र नवला के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसके वर्तमान नये खसरा नंबर 930 रकबा 2.09 हैक्टर प्रतिवादीगण 1 से 4 के नाम भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज किये जाने एवं वादिनी स्व० धुलिया/नवला की वारिस पुत्री होने से वाद ग्रस्त भूमि के खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी ने अभिलेखीय साक्ष्य नकल पर्चा खतौनी नवीन भू-प्रबंध ~~~~ EX4 एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र (उत्तराधिकार) की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि बंदोबस्त विभाग द्वारा बंदोबस्त नियमों के अनुसार खसरा परिशोधन पत्र नवला के ला औलाद फौत होने से उसके वारिसान सगे भाई केसा पुत्र दोला जो प्रतिवादीगण का पिता/दादा है के पक्ष में बाद जांच कार्यवाही सहायक भू-अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा दौराने भू-प्रबंध कार्यवाही स्वीकृत कर पुनः लगान स्व० केसा के फौत होने से उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगणों के नाम जारी किया गया है। वादिनी द्वारा सहायक भू-अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/रिवीजन प्रस्तुत की जानी चाहिए थी इसके अतिरिक्त यदि वादिनी स्व० नवला की वारिसान है तो उसे	ओ. राजाराम वरदाराम [signature] [signature] उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र हासिल किया जाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। चूंकि बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान सहायक भू अभिलेख अधिकारी जोधपुर द्वारा बंदोबस्त नियमों एवं उनके क्षेत्राधिकार के अधीन आदेश पारित किया गया है जो पारित आदेश अपीलीय न्यायालय में चुनौती योग्य होता है। इस प्रकार भू-प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटीपूर्ण कार्यवाही मान कर प्रस्तुत वाद में वादिनी द्वारा चाहा गया अनुतोष इस वाद के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। अतः वाद वादिनी खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुरत्तीब हो। आदेश आज दिनांक 8/5/2017 को मजमा आम ए सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।
	(राजेश मेवाड़ा) RAS
	उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)